कार्यालय जिला पंचायत, पीलीभीत।

पत्रांक: 873 /भवन मानचित्र/एन0ओ0सी0/2023–24 दिनांक 04-09-23

श्री अक्षत भसीन
पुत्र श्री राकेश भसीन,
चेयरमैन, भसीन इन्टरनेशनल स्कूल,
नि0 ग्राम–नरायनपुर,
तहसील पूरनपुर, पीलीभीत।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक–21.06.2023 द्वारा ग्राम नरायनपुर, ज0 पूरनपुर जिला पीलीभीत स्थित भूमि गाटा संख्या–130 रकबा–0.158 हेक्टेयर, गाटा संख्या–131 रकबा 0.190 हे0, गाटा संख्या–127 रकबा–0.470 हे0 एवं गाटा संख्या–126 रकबा–0.243 हे0 कुल 4 किता का क्षेत्रफल 1.061 हे0 में से 10519.71 वर्ग मी0 एरिया पर निर्माणाधीन **"भसीन इन्टरनेशनल स्कूल"** भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पंजीकृत बैनामा एवं निर्माणाधीन स्कूल भवन का मानचित्र (ब्लूप्रिन्ट) के आधार पर जिला पंचायत, पीलीभीत में प्रभावी गजट् नोटीफिकेशन के अनुसार एवं अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, पीलीभीत की जॉच आख्या दिनांक–04.07.2023 के आधार पर प्रस्तावित स्कूल भवन का मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है:–

01– निर्माणाधीन स्कूल भवन ग्राम नरायनपुर, ज0 पूरनपुर जिला पीलीभीत स्थित भूमि गाटा संख्या–130 रकबा–0.158 हेक्टेयर, गाटा संख्या–131 रकबा 0.190 हे0, गाटा संख्या–127 रकबा–0.470 हे0 एवं गाटा संख्या–126 रकबा–0.243 हे0 कुल 4 किता का क्षेत्रफल 1.061 हे0 में से 10519.71 वर्ग मी0 एरिया पर प्रस्तावित है।

02– निर्माणाधीन स्कूल भवन का स्वीकृत मानचित्र की सीमा के बाहर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा।

03– निर्माणाधीन स्कूल भवन का स्वीकृत मानचित्र की बैधता एवं अनुमन्यता स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक लिये मान्य होगी। यदि उक्त निर्माणाधीन स्कूल भवन का मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त संज्ञान में आने पर कि आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी अभिलेख व गलत विवरण देकर छलपूर्वक व धोखाधड़ी से मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र व अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा निर्मित स्कूल भवन को ध्वस्त/सील करा दिया जायेगा।

04– भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक इमारत स्थल से 200 मीटर अन्दर भवन निर्माण की स्वीकृति मान्य नहीं है तथा 200 मीटर से 1.50 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं अनुमति तत्समय आवश्यक एवं उचित कारणों से ही की जायेगी।

05– हवाई अड्डा विमानपत्तन, प्राधिकरण, रक्षा विभाग व अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, 05 किलोमीटर की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत स्कूल भवन मानचित्र की पूर्ण स्वीकृति मानी जायेगी।

06– स्वीकृत स्कूल भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें जल आपूर्ति, मल–मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

07– निर्माणाधीन स्कूल भवन की चाहरदीवारी से राष्ट्रीय, राज्यमार्ग के मध्य से लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित मानक दूरी रखनी अनिवार्य होगी।

08– निर्माणाधीन स्कूल भवन की चाहरदीवारी से स्थानीय/सम्पर्क मार्ग व गलियों के मध्य से 10 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगी।

09– निर्माणाधीन स्कूल भवन की कुर्सी सड़क व गली व रास्ता से 01 फिट की ऊँची रखना अनिवार्य होगा।

10– निर्माणाधीन स्कूल भवन के खुले एरिया पर मानक के अनुरूप वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

11– निर्माणाधीन स्कूल भवन स्ट्रक्चरल कंसल्टेन्ट द्वारा दी गई ड्राइंग, जो कि भूकम्परोधी होने पर ही निर्माण कराना आवश्यक होगा।

12– विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति लेना आवश्यक होगा।

13 – स्वीकृत नक्शे के अनुरूप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आवश्यक होगा।

14– बेसमेन्ट में इलैक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामिग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

15– निर्माणाधीन स्कूल भवन के स्वामी को वाहन/बसों हेतु पार्किंग की व्यवस्था अपनी निजी भूमि या भाड़े की भूमि पर स्वयं करनी होगी, ताकि आवागमन बाधित न हो।

16– स्कूल भवन स्वामी द्वारा स्कूल भवन का मानचित्र जिला पंचायत पीलीभीत से स्वीकृत होने के बाबजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाना आवश्यक है उनसे अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

17– किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जमा अनापत्ति शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

18– स्कूल भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध सी0आर0पी0सी0की धारा–133 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

19– राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग की ओर प्रस्तावित आवासीय भवन की चाहरदीवारी लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक दूरी के बाहर ही निर्माण कराया जायेगा यदि भविष्य में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा सड़क के चौड़ीकरण में यदि भवन स्वामी के स्वीकृत मानचित्र का भूभाग आता है तो स्कूल भवन स्वामी को निर्धारित भूभाग छोड़ना होगा, इसमें जिला पंचायत, पीलीभीत का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, अपितु स्कूल भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा स्कूल भवन स्वामी द्वारा उक्त के संदर्भ में कोई दावा/आपत्ति मा0 न्यायालय में दायर नहीं किया जायेगा।

20– स्कूल भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र दिनांक–20.06.2023 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

21– स्कूल भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

22– उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा पत्र व स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः–स्वीकृत मानचित्र की 01 प्रति।

अभियन्ता
जिला पंचायत, पीलीभीत।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, पीलीभीत।

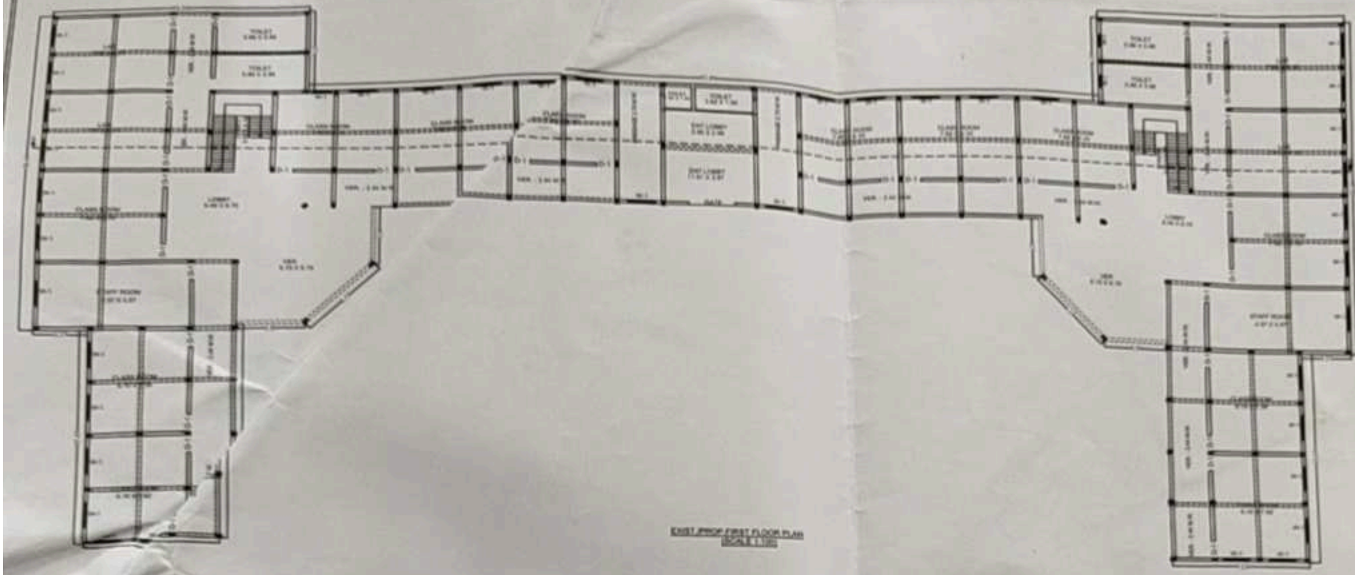

EXIST./PROP. FIRST FLOOR PLAN
(SCALE 1:100)

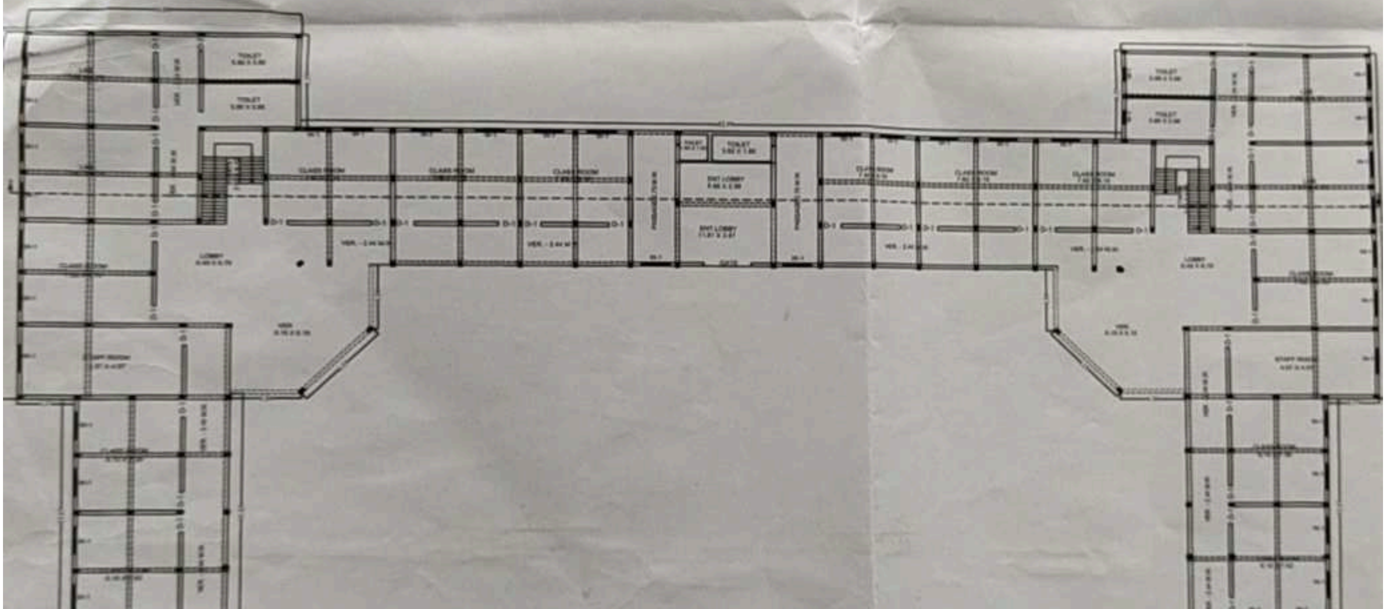

EXIST./PROP. FIRST FLOOR PLAN
(SCALE 1:100)

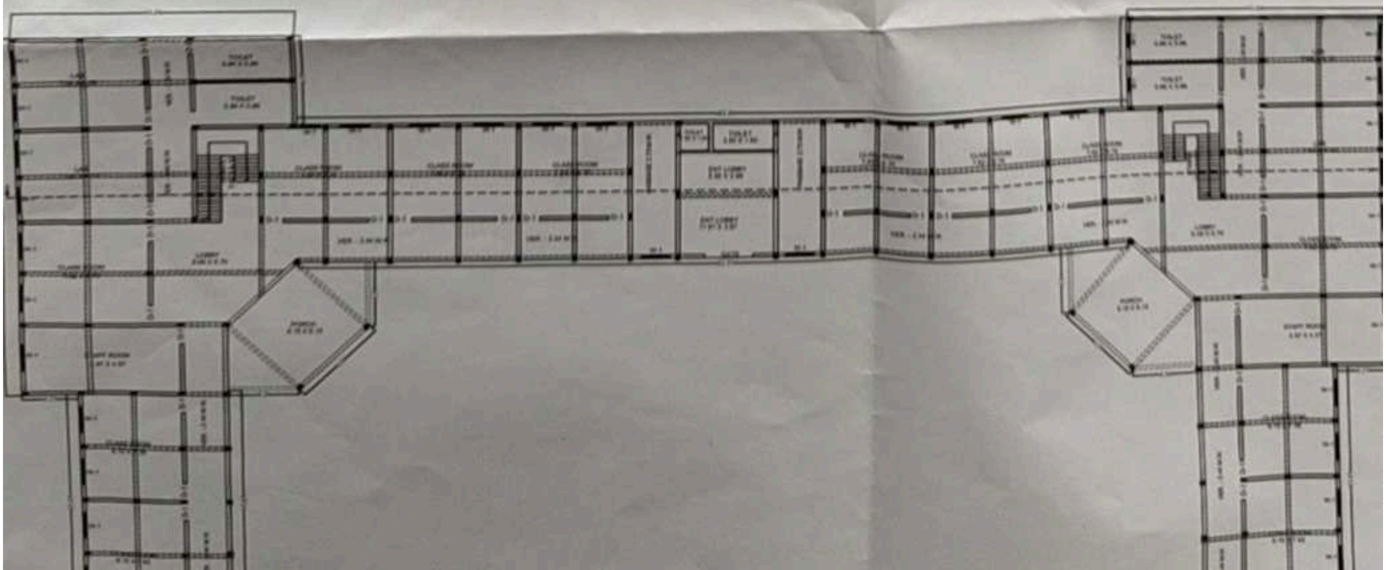

EXIST./PROP. GROUND FLOOR PLAN
(SCALE 1:100)

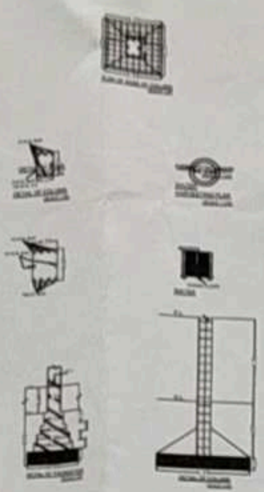

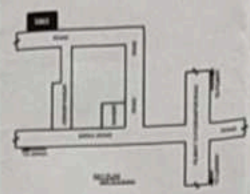

EXIST./PROP. SCHOOL BUILDING FOR
BHASIN INTERNATIONAL SCHOOL
CHAIRMAN - SHRI AKSHAT BHASIN S/O SHRI RAKESH BHASIN
SITUATED AT Village Narayanpur Part Of
Gata no. 130,131,127,128
Tahaseel pooranpur Distt. Pilibhit

SCHEDULE OF D/W/V	LAND USE PLAN
SPECIFICATIONS	LEGEND
	EXIST WORK →
	PROP WORK →
	N

AREA STATEMENTS in SQM

TOTAL PLOT AREA = 10519.71 SQ.M
EXIST.COVD. AREA ON G.F. = 801.32 SQ.M
EXIST.COVD. AREA ON F.F. = 801.32 SQ.M
EXIST.COVD. AREA ON S.F. = 801.32 SQ.M
EXIST.COVD. AREA ON MUMTY = 28.07 SQ.M
OPEN AREA ON G.F. = 8860.93 SQ.M
PROP.COVD. AREA ON G.F. = 801.32 SQ.M
PROP.COVD. AREA ON F.F. = 801.32 SQ.M
PROP.COVD. AREA ON S.F. = 801.32 SQ.M
PROP.COVD. AREA ON MUMTY = 28.07 SQ.M
OPEN AREA ON G.F. = 8860.93 SQ.M
HEIGHT OF BUILDING = 12.95 MTR.

ALL DIMENSIONS GIVEN ARE IN METERS

SIGN. OF APP.	SEAL
Sudesh Bhasin Educational & Charitable Trust AKSHAT BHASIN	Er. DEEPAK KUMAR SHUKLA 201 KHAKRA PILIBHIT

AR. AKSHAT GUPTA
CA/2022/143568

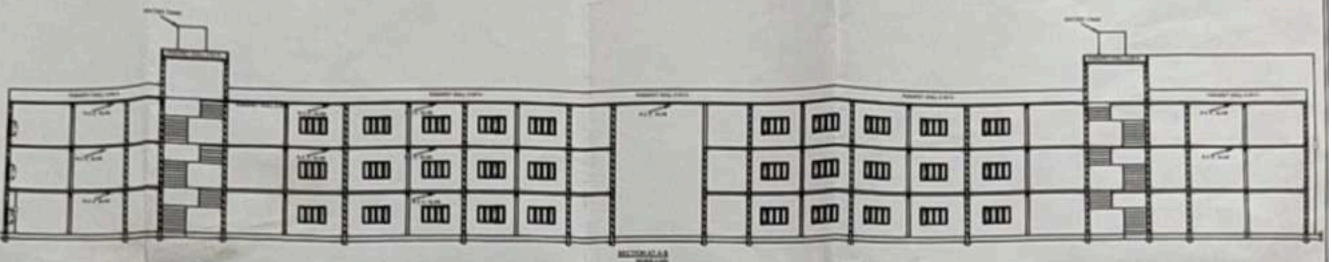

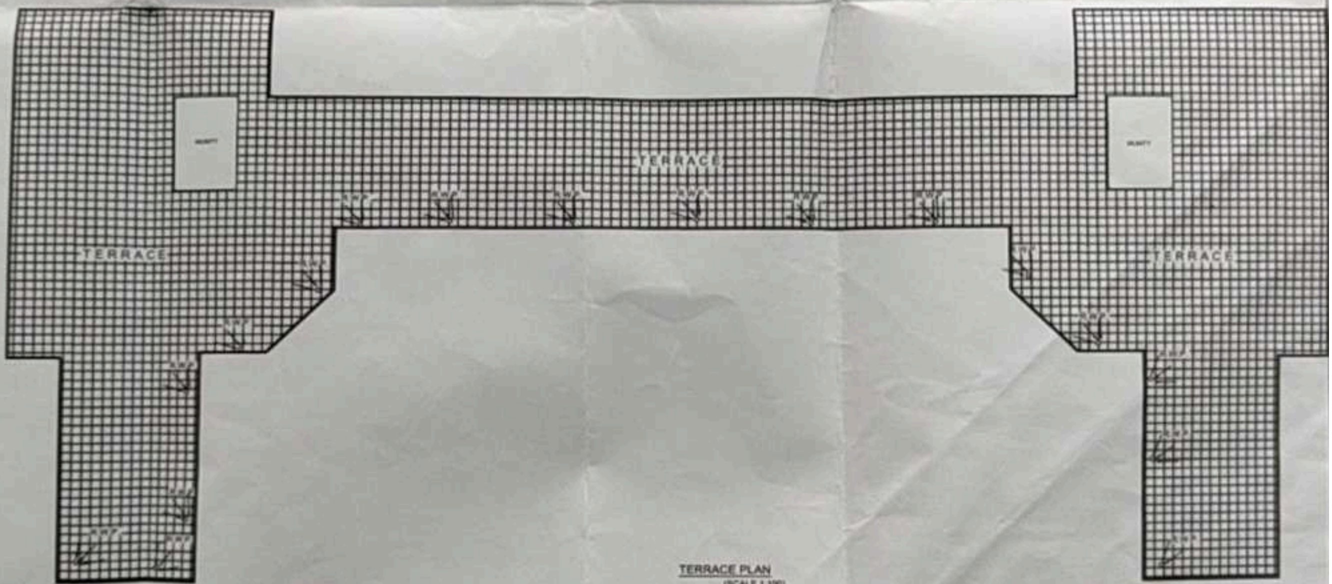

TERRACE PLAN
(SCALE 1:100)

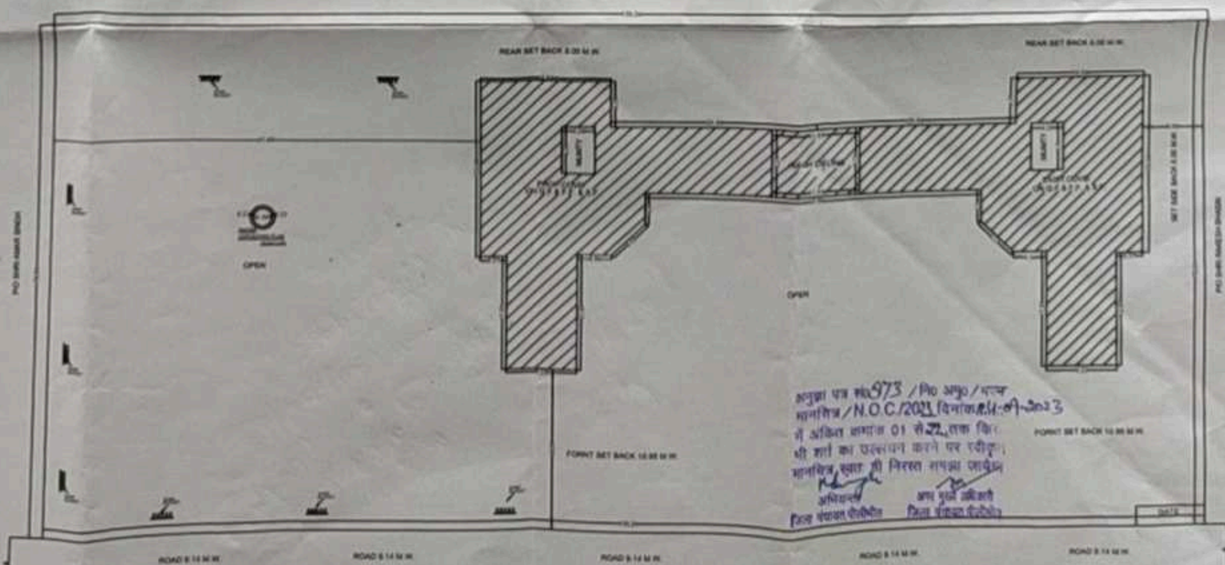

अनुज्ञा पत्र सं0 973 / पि0 अनु0 / मान
मानचित्र / N.O.C./2023 दिनांक 14-07-2023
में अंकित क्रमांक 01 से 22 तक कि
भी शर्त का उल्लंघन करने पर स्वीकृत
मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा
अभियन्ता
जिला पंचायत पीलीभीत
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत पीलीभीत

SITE PLAN
(SCALE 1:200)